Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **यू.आई.टी. भीलवाड़ा के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आरोपियों के आवास एवं ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, 3 दिसम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशों पर एसीबी की जयपुर ग्रामीण एवं टोंक इकाई द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों अधीक्षण अभियन्ता रामेश्वर शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता सतीश शारदा व सहायक अभियन्ता ब्रह्मालाल शर्मा को ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भीलवाडा के नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के बिलों को पास कराने में कमीशन के रूप में प्रतिशत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज भीलवाड़ा में एसीबी की मुख्यालय स्थित जयपुर ग्रामीण के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** एवं **टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेप कार्यवाही करते हुये भीलवाड़ा नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता रामेश्वर शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता सतीश शारदा व सहायक अभियन्ता ब्रह्मालाल शर्मा को परिवादी से 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान भी तीनों अधिकारियों ने परिवादी से रिश्वत के 1 लाख 25 हजार रूपये प्राप्त कर, शेष राशि शीघ्र देने की मांग की थी।

उक्त प्रकरण में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के नेतृत्व में ए.सी.बी. टीमों द्वारा किया जा रहा है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपीगण